रजिस्ट्री सं. डी (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

**असाधारण**
**EXTRAORDINARY**

**भाग I—खण्ड 1**
**PART I—Section 1**

**प्राधिकार से प्रकाशित**
**PUBLISHED BY AUTHORITY**

सं. 166] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 18, 1988/श्रावण 27, 1910
No. 166] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 18, 1988/SRAVANA 27, 1910

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

**Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation**

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 18 अगस्त, 1988

सार्वजनिक सूचना

सं. प्रतिप्रदायगी/स.सू.-8/88

फा.सं. 600/2502-2902-3/88 प्रतिप्रदायगी:—सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्रतिप्रदायगी नियमावली, 1971 (भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं. 52/फा.सं. 662/2/70-प्र.प्र.) के नियम 4 के साथ पठित नियम 3 के अधीन केन्द्रीय सरकार इस मंत्रालय

दिनांक 31 मई, 1988 में प्रकाशित सार्वजनिक सूचना सं. प्र.श.सा.सू.-7/88 की सारणी में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है :—

1. उपक्रमांक सं. 2502 (ख) तथा इससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित उपक्रम संख्या और प्रविष्टियां अन्तः स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

| उपक्रमांक | माल का विवरण | प्रतिअदायगी की दर | विनिर्धारण | |
|---|---|---|---|---|
| | | | सी.शु. | के.उ.शु. |
| "2502 (ग) | पूर्णतः मानव निर्मित सेलुलोज विस्कोस स्टेपल फाइबर से काता हुआ धागा। | 8.70 रु. (केवल आठ रुपये सत्तर पैसे) प्रति किलोग्राम | | सम्पूर्ण केन्द्रीय उत्पादन शुल्क |

टिप्पणी :—उपक्रम सं. 2502(ग) के तहत दर ऐसे धागे पर संदेय नहीं होगी जो फाइबर अपशिष्ट, धागे अपशिष्ट अथवा धागे को कातने पर अथवा किसी अन्य प्रक्रिया से प्राप्त होने वाले फाइबर अपशिष्ट से काता गया हो।"

2. उपक्रम सं. 2903 के तहत टिप्पणी 3 के पश्चात् निम्नलिखित टिप्पणी संख्या 4 अन्तः स्थापित की जाएगी अर्थात् :—

"टिप्पणी सं. 4. यदि चमड़े के जूते का निर्यातक शुल्क रहित हकदारी प्रमाणपत्र/आयात-निर्यात पास बुक स्कीम का लाभ उठाता है अथवा वह सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 65 के तहत बांड सहित विनिर्माण सुविधा के तहत विनिर्माण करता है और वह चमड़े के जूते के निर्माण के लिए जिपों/स्नैप फास्नर्स/आइलेटस/वेल्क्रो टेपों/बकसुओं/फर लाइनिंग/एकल सोल/एम्बेलिशमेंट (सजावट) आदि जैसी आवश्यक निविष्टियों का न कि तैयार चमड़ा अथवा कच्चे रसायन का शुल्क मुक्त आयात करता है तब उसे पोत पर्यन्त नि.शु.क. मूल्य के 3 प्रतिशत की दर पर प्रतिअदायगी का लाभ दिया जाएगा।

कामेश्वरी सुब्रह्मण्यन, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 18th August, 1988

PUBLIC NOTICE

NO. DRAWBACK/PN-8/88

F. No. 600/2502-2902-03/88-DBK.—Under Rule 3 read with Rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F. No. 602/2/70-DBK Pudlisheb in the Gazette of India, Extraordinary, dated the 25th August 1971), the Central

Government, hereby makes the following amendments in the Table published in the Ministry's Public Notice No. Drawback/PN-7/88 dated the 31st May, 1988 :—

1. After Sub-serial No. 2502 (B) and the entries relating thereto, the following Sub-serial No. and entries shall be inserted, namely :—

| Sub-Serial No. | Description of goods | Rate of Drawback | Allocation Cus. C. Ex. |
|---|---|---|---|
| "2502 (C) | Yarn spun wholly out of man-made cellulosic viscose staple fibre | Rs. 8.70 (Rupees eight and paise seventy only) per kg. | All Central Excise |

Note :—The rate under S.S. No. 2502(C) shall not be payable to yarn spun out of fibres obtained from fibre waste, yarn waste or fabric waste by yarn cutting or by any other process."

2. The following Note No. 4 shall be inserted after Note 3 under Sub-serial No. 2902, namely :—

"Note No. 4 : In case the leather shoe exporter avails of the benefit under DEEC Import-Export Pass Book Scheme or manufacturing in bond facility under section 65 of the Customs Act, 1962 and import duty free required inputs for leather shoe manufacture, like zips/snap fastener/lining/adhesive tapes/adhesives/fur lining/unit soles/embellishments etc. but not finished leather or leather chemicals, he shall be extended Drawback at the reduced rate of 3% of f.o.b. value."

KAMESWARI SUBRAMANIAN, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1988